दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:प्लेक्स/सर्किल/373 दिनांक : 29.07.2025

प्रति,
प्लेक्सकाउंसिल के सभी सदस्य/
सीओए

महोदय / महोदया,

विषय : एमओओडब्ल्यूआर (MOOWR) योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग की अवधि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई
संदर्भ : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) – परिपत्र संख्या 18 दिनांक 22.07.2025 एवं परिपत्र संख्या 19 दिनांक 23.07.2025

हम आपको एमओओडब्ल्यूआर (MOOWR) योजना से संबंधित ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के संदर्भ में सीबीआईसी (CBIC) द्वारा जारी दो नवीनतम परिपत्रों के बारे में सूचित करना चाहते हैं।

जारी किए गए दो परिपत्र इस प्रकार हैं:

1. **परिपत्र संख्या 18/2025-कस्टम्स दिनांक 22.07.2025**
   (https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1003284/ENG/Circulars)
   इस परिपत्र में बताया गया था कि एमओओडब्ल्यूआर योजना हेतु डिजिटलीकृत आवेदन, जो पूर्व में Invest India माइक्रोसाइट पर उपलब्ध था, अब आगे से आवेदन हेतु उपलब्ध नहीं रहेगा।

   अनुभाग 58 के अंतर्गत लाइसेंस तथा **अनुभाग 65** के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित **क्षेत्रीय प्रधान आयुक्त** / **आयुक्त (सीमा शुल्क)** को सीधे आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

2. **परिपत्र संख्या 19/2025-कस्टम्स दिनांक 23.07.2025**
   (https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1003285/ENG/Circulars)
   इस परिपत्र ने उपरोक्त निर्देश को संशोधित करते हुए यह स्पष्ट किया कि **Invest India पोर्टल पर उपलब्ध एमओओडब्ल्यूआर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा** अब 31

अक्टूबर 2025 तक चालू रहेगी, ताकि आवेदकों को डिजिटल माध्यम से आवेदन करने में सुविधा और निरंतरता मिल सके।

इस पोर्टल के माध्यम से किए गए आवेदन, मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा यथावत् प्रक्रिया में लिए जाएंगे।

वैकल्पिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर कार्य किया जा रहा है और उसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।
परिणामस्वरूप, परिपत्र संख्या 18/2025-कस्टम्स दिनांक 22.07.2025 को वापस ले लिया गया है।

यह केवल आपकी जानकारी के लिए है।

सादर

भारती परवे
उप निदेशक - व्यापार एवं नीति
प्लेक्सकाउंसिल